हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	अहकाम को इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दा. 912 229/12 प्रभुराम / रामसुख	

5.10.17 बाबूलाल बनाम तहसीलदार पेड़तलाव
एस.बी.सि. 2017/468 के 13-7-2017 को PD की जानकारी
रिपोर्ट प्रस्तुत की। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए
मौखिक आपत्ति पेश की। वकील वादी ने समय के अभाव में
पत्रावली वकील वादी ने समय के अभाव में
पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार
रिपोर्ट से वकील प्रतिवादी के अधिनायकत्व निर्णय
प्रकाश फाउंडेशन डिक्री की जाती है।
वादी प्रभुराम के पट्टे में खाता खाते के खाता 390
रकबा 4.94 है जिसमें 2/3 हिस्सा जिसमें 1.65 है। इसमें
पूर्व हिस्सा व 1.64 है दक्षिण हिस्सा रहेगा।
प्रतिवादी दीनाराम के पट्टे में खाता खाते के खाता 390
रकबा 4.94 है जिसमें 1/3 हिस्सा 1.65 है। इसमें पश्चिम
रकबा 0.10 है रास्ता
रहेगा। इसी प्रकार से वादी प्रभुराम, दीनाराम,
वादी प्रभुराम प्रतिवादी नेनाराम, हनुमाराम,
रूपाराम, नेनाराम के शामलात (चारागाह) में
रहेगा यह 0.10 है यानि वादी प्रभुराम व प्रतिवादी
दीनाराम के हिस्से में से हिस्सा उनके रहेगा।
वादी प्रभुराम के पट्टे में खाता खाते के खाता 672
रकबा 8.16 है रहेगा।
पट्टे के खाता खाते पर डिक्री पारित
करते हुए तहसीलदार पेड़तलाव किसी न्यायालय
का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार
अमल दरामद करें।
पत्रावली फैसल होकर अभिलेखागार में
कार्यवाही शामिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 5.10.2017 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)